बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

आदेश

का0आ0सं0–VI/स्था0(अरा0)नि0-07/202–................../–संयुक्त सचिव, मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 20.04.2022 को जिला निबंधन कार्यालय, सारण (छपरा) के कार्यालय के निरीक्षण के उपरांत समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि श्री मेहुल कुमार, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण (छपरा) वर्तमान में निम्नवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, सारण (छपरा) में विभागीय निदेश के बावजूद परिदान पंजी एवं आगत–निर्गत पंजी को अद्यतन एवं संधारण नियमानुसार नहीं किया गया।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–2531 दिनांक–20.05.2022 द्वारा श्री मेहुल कुमार, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण (छपरा) वर्तमान में निम्नवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर स्पष्टीकरण की मांग की गई जिसके अनुपालन में श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में संयुक्त सचिव के द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं श्री मेहुल कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के उपरांत परिदान पंजी को अद्यतन करते हुए पंजी में प्रविष्टि की गई तथा आगत निर्गत पंजी को अद्यतन किया गया जबकि पूर्व में ही उपरोक्त पंजी में नियमानुसार अद्यतन सूचना अंकित करते हुए पंजी को संधारित करने हेतु विभागीय निदेश परिचालित किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि श्री कुमार को विभागीय कार्य लंबित रहने की जानकारी रहने के बाबजूद जानबुझकर कार्य अद्यतन नहीं किया गया। स्पष्टतः श्री कुमार के द्वारा विभागीय निदेश का उल्लंघन किया गया जो उनके कर्त्तव्य पालन में लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के अनुसार श्री मेहुल कुमार, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण (छपरा) वर्तमान में निम्नवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनकी कर्त्तव्य पालन में लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता बरतने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री कुमार को (1) निन्दन (आरोप वर्ष 2022) एवं (2) दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

43

ज्ञापांक– VI/स्था0(अरा0)नि0-07/202 –1086/–   पटना, दिनांक–05.03.25

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, सारण (छपरा) एवं मधेपुरा/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल (छपरा) एवं कोसी प्रमंडल, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सारण (छपरा) एवं मधेपुरा/जिला निबंधन कार्यालय, सारण (छपरा)/अवर निबंधन कार्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा/प्रशाखा–6/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री मेहुल कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
बिहार, पटना।